

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

जन्म - 2 अक्टूबर 1869 (पोरबन्दर) गुजरात
प्रमुख रचनाएं - यंग इण्डिया, नवजीवन, हरिजन, सत्य के प्रयोग
गीता बोध।

गांधीवाद

बेसुधेवकुटुम्बक की आवना से ओतप्रोत युवाहाल समाज अर्थात् रामराज्य की स्थापित करने के लिए गांधी जी द्वारा जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है तथा उनके द्वारा जिन कार्यों की सम्पादित किया गया है, उसे ही गांधीवाद के नाम से जानते हैं। गांधीवाद विचारों का समूह मात्र नहीं अपितु व्यवहारिक कार्यों का नाम है।

गांधीवाद सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सहिष्णुता, परमार्थ परोपकार जैसे मानवीय तत्वों पर आधारित मूल्यवान् जीवनपद्धति है। गांधीवाद सादगी व सदाचार का नाम है जो एक ओर मानवीय दुःख के निदान के लिए औषधि और दूसरी ओर मानवीय युवाहाली के लिए दर्शन है।

गांधीवाद सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुता और विश्वास पर आधारित है जिसके द्वारा ही मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह परिवर्तन एवं गुणात्मक विकास का माध्यम है। इसी पर गांधी जी का रामराज्य टिका है।

गांधी जी का अहिंसा और बंधुता मार्क्सवादी तत्त्वों से ज्यादा शक्तिशाली व तीव्र है, जिसे गांधीवादी द्वारा परिवर्तन का माध्यम बनाया जाता रहा है। गांधी जी का बंधुत्व व्यापक और प्रभावशाली है जिससे व्यक्तिगत स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक का परिवर्तन बहुत ही आसानी एवं शान्तिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।

समाज के दो वर्गों में से एक सर्वहारा वर्ग अर्थात् गरीबों की विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद को जाना जाता है, क्योंकि मार्क्सवाद केवल इसी वर्ग की बेहदरी के लिए आन्दोलनरत है। वहीं उपरोक्त पूंजीपतियों अर्थात् बुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व-रक्षा के लिए प्रयासरत। एक सुरुआतिक विचारधारा व षडयन्त्र है। जबकि गांधीवाद, मार्क्सवाद एवं उपरोक्त की तरह एक वर्ग विशेष की विचारधारा न होकरके समाज के सभी लोगों के लिए एक मानवतावादी सहअस्तित्ववादी विचारधारा है, क्योंकि गांधीवाद का लक्ष्य सर्वोपयोग है। गांधीवाद अमीरों के नैतिक विकास और गरीबों के आर्थिक विकास में रुचि रखने वाला न्यायोचित विचारधारा है। गांधीवाद वर्ग-संपर्क नहीं, वर्ग-सहयोग व समन्वय की बकाफत करता है।

गांधी जी का अराजकतावाद

महात्मा गांधी का मानना था कि राज्य हिंसा व असत्य पर आधारित है तथा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है। इस लिए स्वस्थ समाज के लिए राज्य-विहीनता आवश्यक है। वर्तमान में गांधी जी के ये दृष्टिकोण अप्रासंगिक हो चुके हैं। यदि राज्य नहीं होगा तो समाज में अंगलराज कायम ही जायेगा। आज के राज्य का उपदेश्य जनकल्याण के साथ प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समाज व राष्ट्र की -यहसुंकी प्रगति है। आज की शासन या सत्ता द्वारा यदि किसी वर्ग या समूह अथवा व्यक्ति का शोषण किया जाता है अथवा करने का प्रयास किया जाता है तो वह भीड़िया एवं न्यायपालिका द्वारा कटपरी में खड़ा कर दिया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी शोषण व पमनकारी कूर राज्यशासन के विरुद्ध थे क्योंकि वे तो रामराज्य की स्वयं प्रकृत समर्थक थे। इस लिए गांधी जी अराजकतावाद के नहीं, अहिंसात्मक राज्य के समर्थक या वाहक थे।

महात्मा गांधी का पंचायती राज

भारतमाता ग्रामवासिनी हैं। महात्मा गांधी के अनुसार भारत गावों का देश है जो शासन व्यवस्था की स्वस्थ बुनियाद है। गांधी जी पंचायती राज को सत्ता के विकेन्द्रिकरण और व्यापक राजनीतिक भागीदारी के लिए अतिआवश्यक मानते थे। वे इसे 'धरातलीय प्रजातंत्र' कहते थे। उनका मानना था कि पंचायती व्यवस्था से ग्रामीण स्तर का व्यापक विकास किया जा सकता है तथा निर्धन से निर्धन लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता का एहसास कराया जा सकता है। पंचायती व्यवस्था से सत्ता एवं शक्ति एक हाथ में 'केंद्रित' न होकर अनेक हाथों में विभाजित हो जायेगी। इससे निरंकुशता या तानाशाही का भय समाप्त हो जायेगा।

गांधी जी के पंचायती राज को भारत में 73वाँ एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया है। आज समाज का प्रत्येक वर्ग राजनीतिक सहभागिता की ओर अग्रसर है।

राजनीति का आह्व्यात्मिककरण

राजनीति में हिंसा, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पुठप्रचार भाई-भतीजावाद, जातीयता, साम्प्रदायिकता, श्रेष्ठवादिता इत्यादि से गांधी जी भलीभांति परिचित थे, इसी लिए उन्होंने राजनीति के आह्व्यात्मिककरण पर बल दिया। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार, सादगी, सदाचार इत्यादि मानवीय मूल्यों का राजनीति में समावेश करना ही राजनीति का आह्व्यात्मिककरण है। गांधी स्वकारात्मक राजनीतिक सक्रियता के लिए राजनीति का आह्व्यात्मिककरण करना चाहते थे जिसके प्रयोग से राजनीति में सुखद व क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकते हैं।

गांधी जी का ट्रस्टीशिप (न्यायिता) सिद्धान्त

सापेक्षिक आर्थिक समानता तथा निजी सम्पत्ति पर सीमित अंकुश के लिए गांधी जी ट्रस्टीशिप नामक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। गांधी जी का कहना है कि जब पूंजीपतियों के पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाये, तो उसे एक ट्रस्ट को दे देनी चाहिए। और ट्रस्ट द्वारा पूंजीपतियों का प्रकृत धन गरीबों के कल्याण में व्यय किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसे निधनलोग जो शेटी, कपड़ा, मकान व शिक्षा से स्थाई रूप से वंचित हैं, उनके हित में ट्रस्ट के धन का उपयोग किया जाना चाहिए।

बहुमत का शासन एवं प्रतिनिधित्व

गांधी जी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करने के बाद बहुमत का शासन, अल्पाधिकार एवं प्रतिनिधित्व जैसे प्रजातान्त्रिक मूल्यों की धर्या करते हैं। गांधी का कहना है कि बहुमत का शासन उचित है, परन्तु उसका उद्देश्य सुशासन होना चाहिए, कुशासन नहीं। बहुमत के शासन में अल्पमत के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। गांधी ने प्रतिनिधित्व का उद्देश्य परोपकार अर्थात् जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण बताया है।

राष्ट्रवाद व अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

गांधी जी का राष्ट्रवाद संकीर्ण या उग्रराष्ट्रवाद न होकर व्यापक एवं सहिष्णु राष्ट्रवाद है। गांधी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय शिक्षा में अटूट आस्था थी। वे अन्तर्राष्ट्रीयतावाद में राष्ट्रवाद को शामिल करना चाहते थे। गांधी जी पूरे विश्व को कुटुम्ब मानते थे अतः वे स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीयतावादी बन जाते हैं। गांधी जी सच्चे मायने में औचित्यपूर्ण राष्ट्रवाद एवं व्यापक - अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक हैं।

गांधी जी का सत्याग्रह

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है - सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रही सत्यनिष्ठा, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निर्धनता, अहिंसा, आत्मबल जैसे गुणों से युक्त होकर अत्याचारी के समक्ष अहिंसात्मक प्रतिरोध करता है। वह असत्य को सत्य से, पृष्ठा को प्रेम से एवं हिंसा को अहिंसा द्वारा जीतने या बदलने का प्रयास करता है। सत्याग्रही शोषणकारी या दमनकारी शक्ति के सम्मुख विरोध हेतु अडिग होता है। सत्याग्रही में क्रोधवत् बदले की भावना नहीं होती। वह भले अपमानित हो परन्तु वह अपमान करने वाले का भी सम्मान करता रहेगा।

गांधी जी के अनुसार "सत्याग्रह" वह सुधार का माध्यम है जिससे हर प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी निरंकुश सत्ता का विरोध सत्य व अहिंसा के नियमों को पालन करते हुए करता है, तो वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सत्याग्रही होता है।"

गांधी जी ने सत्याग्रह के पांच तरीके बताए हैं - (1) असहयोग (2) सविनय अवज्ञा (3) हिंजरत (4) व्रत या उपवास (5) हड़ताल।